सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण 1932 शकाब्द

संख्या 401

राँची, मंगलवार 27 जुलाई, 2010

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई, 2010

संख्या :– 3/नीति–703/2008 का **4447**/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल सचिवालय लिपिकों की भर्ती एवं सेवा–शर्त के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(i) यह नियमावली झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 कहलाएगी।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :– जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में

(क) **''नियत दिन''** से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तारीख;

(ख) **''संलग्न कार्यालय''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कार्यालय;

(ग) **''नियुक्ति प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव/सचिव;

(घ) **''सामान्य वरीयता सूची''** से अभिप्रेत है, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इस निमित्त बनाये जानेवाले विनियमों के अनुसार समय–समय पर पुनरीक्षित नियत दिन को इस सेवा के कर्मचारियों की वरीयता सूची;

(ङ) **''आयोग''** से अभिप्रेत है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग;

(च) **''कोटि''** से अभिप्रेत है नियम–3 में निर्दिष्ट कोटि;

(छ) **''सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति''** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति;

(ज) **''विहित''** से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विनियमों के माध्यम से विहित ।

(झ) **''परिवीक्षाधीन''** से अभिप्रेत है परिवीक्षा के आधार पर निम्नवर्गीय के पद पर नियुक्त व्यक्ति;

(ञ) **''सेवा''** से अभिप्रेत है झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा;

3. संवर्ग का गठन :– सेवा में दो संवर्ग होंगे :–

(i) उच्चवर्गीय लिपिक (उ.व.लि.), और

(ii) निम्नवर्गीय लिपिक (नि.व.लि.) ।

4. वेतन :– सेवा के विभिन्न संवर्गों के लिए वेतनमान निम्नलिखित होंगे :–

	संवर्ग	*वेतनमान*	
		अपुनरीक्षित	*पुनरीक्षित*
1.	उच्चवर्गीय लिपिक (उ.व.लि.)	4000–100–6000	बैंड – पी॰ बी॰ – 1 वेतनमान् – 5200–20200 ग्रेड वेतन – 2400
2.	निम्नवर्गीय लिपिक (नि.व.लि.)	3050–75–3950–80–4590	बैंड – पी॰ बी॰ – 1 वेतनमान् – 5200–20200 ग्रेड वेतन – 1900

5. सेवा का अधिकृत बल :– राज्य सरकार के सभी विभागों एवं संलग्न कार्यालयों में टंकक/विपत्र लिपिक/लेखापाल/रोकड़पाल/दिनचर्या लिपिक के पदों एवं सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में वेतनमान् रू0 4000–100–6000/– के कोई पद के अधिकृत बल का योग नियत तारीख को सेवा का अधिकृत बल होगा । तत्पश्चात् कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग समय–समय पर सेवा के अधिकृत संख्या बल का निर्धारण करेगा ।

परन्तु प्रत्येक विभाग में नियत तारीख को टंकक/विपत्र लिपिक/लेखापाल /रोकड़पाल/दिनचर्या लिपिक के पदों एवं सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में वेतनमान् रू0 4000–6000/– के कोई पद के स्वीकृत बल का कम–से–कम पचास प्रतिशत पद निम्नवर्गीय लिपिक का पद तथा शेष पचास प्रतिशत पद उच्चवर्गीय लिपिक का पद समझा जायगा, किंतु नियत तारीख को यदि उच्चवर्गीय लिपिक संवर्ग में कार्यरत बल पचास प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे पद तब तक उच्चवर्गीय लिपिक के पद समझे जायेंगे, जब तक कि उच्चवर्गीय लिपिक की अधिशेष संख्या के कर्मियों की सेवानिवृत्ति या प्रोन्नति न हो जाय । सेवा के स्वीकृत बल के पचास प्रतिशत से कम होने तक उच्चवर्गीय लिपिक संवर्ग में प्रोन्नति नहीं दी जायगी ।

6. आरक्षण :– सभी भर्ती/प्रोन्नति नौकरी में आरक्षण से संबंधित नियमों के अध्यधीन होगी।

7. निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग में भर्ती :–

(1) निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक होगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग भर्ती प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

"परंतु राज्य सरकार समय–समय पर आयोजित सीमित विभागीय/प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर समूह 'घ' से भरे जाने वाले निम्न वर्गीय लिपिक के 15% पदों के संबंध में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हत्ता घटा सकती है।"

(2) प्रत्येक पंचाग वर्ष की रिक्तियों के लिए अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा पूर्ववर्ती पंचांग वर्ष के दिसंबर माह तक आयोग को भेज दी जायगी। उम्मीदवारों की उम्र की गणना भर्ती परीक्षा वर्ष की पहली जनवरी को की जायगी।

(3) निम्न वर्गीय लिपिक संवर्ग के अधिकृत बल के पचासी प्रतिशत (85 %) पद आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे।

परंतु उपर वर्णित प्रतिशत सीमा के अंदर अनुकम्पा के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिकीय संवर्ग में नियुक्ति किया जा सकेगा। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा तत्हेतु दिशानिर्देश गठित किया जायेगा।

(4) नियत तारीख को विभिन्न विभागों एवं संलग्न कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत तथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

परन्तु ऐसे निम्नवर्गीय लिपिक जिन्हें इस सेवा में स्वतः शामिल समझा गया है और नियत तारीख को उनकी उम्र पचास वर्ष से कम हो तो उनके लिए नियत तारीख से दो वर्षों के भीतर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा यथानिर्धारित टंकण एवं

कंप्यूटर दक्षता अर्जित करना अपेक्षित होगी। उक्त अवधि के भीतर ऐसी क्षमता अर्जित नहीं कर पाने वाले निम्न वर्गीय लिपिक अगली वार्षिक वेतनवृद्धि के पात्र नहीं होंगे ।

(5) अधिकृत बल के शेष पन्द्रह प्रतिशत (15 %) पद सचिवालय के विभिन्न विभागों एवं संलग्न कार्यालयों की नियमित स्थापना में नियुक्त एवं निम्न वर्गीय लिपिक के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखनेवाले समूह 'घ' के कर्मचारियों से आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जायेंगे ।

(6) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग प्रत्येक विभाग/कार्यालय में उम्मीदवारों का आवंटन करेगा ।

(7) उपनियम (3) एवं (5) में निर्दिष्ट प्रतियोगिता परीक्षा का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा ।

8. परिवीक्षा अवधि :– निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग में नियुक्त हर व्यक्ति, चाहे उसकी नियुक्ति सीधी भर्ती या सीमित प्रतियोगी परीक्षा या अनुकंपा के आधार पर हुई है, प्रारंभिक दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे, जो अवधि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है ।

परन्तु कुल परीक्ष्यमान अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी । विस्तारित अवधि में भी सेवा असंतोषजनक होने की स्थिति में उस व्यक्ति की सेवा समाप्त हो सकती है ।

9. प्रशिक्षण :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुसार परीक्ष्यमान अवधि में निम्नवर्गीय लिपिक यथाविहित प्रशिक्षणों में भाग लेगा ।

10. संपुष्टि :–

(1) परीक्ष्यमान अवधि के संतोषजनक समाप्ति तथा अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा करने और टंकण एवं कंप्यूटर दक्षता के लिए अपेक्षित जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संपुष्ट किया जा सकेगा।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट जाँच परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी । नियम–7 के उपनियम (1) एवं उपनियम (4) तथा नियम–12 के उपनियम (3) के परंतुक के अधीन टंकण एवं कंप्यूटर दक्षता के लिए जाँच प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद के परामर्श से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जायेगा ।

(3) टंकण एवं कंप्यूटर दक्षता की जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को कोई वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी ।

11. निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग में वरीयता का निर्धारण :–

(क) आयोग की अनुशंसा पर समान वर्ष में नियुक्त प्रशिक्षु की आपसी वरीयता निम्नवत् निर्धारित होगी :–

(1) नियम–7 के उपनियम (3) के अधीन नियुक्त सभी प्रशिक्षुओं की एक सूची कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग तैयार करेगा। यह सूची मेधा के अनुसार संधारित होगा, जो प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांक के अनुसार निर्धारित होगा :–

(अ) प्रतियोगिता परीक्षा में

(आ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विहित प्रशिक्षण संस्थान में उसके अभिलेख के अनुसार

(इ) और नियम 11 के उप नियम (1) (आ) में वर्णित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित अंतिम अथवा विशेष परीक्षा।

(2) अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी की पारस्परिक वरीयता उनकी नियुक्ति की तारीख के अनुसार होगी ।

(3) नियम – 7 (3) के अधीन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर एक वर्ष में नियुक्त सभी कर्मचारी नियम – 7 (5) के अधीन सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सामूहिक रूप से नियुक्त' कर्मचारियों से वरीय होंगे तथा ये कर्मचारी उस वर्ष अनुकंपा के आधार पर सामूहिक रूप में नियुक्त कर्मचारियों से वरीय होंगे ।